छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु0जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना वर्ष 2013-14 (यथा संशोधित)

1. उद्देश्य

पृथक छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात राज्य का बहुत तेजी से सर्वांगीण विकास हो रहा है। आर्थिक उदारीकरण के इस युग में छत्तीसगढ़ राज्य पावर हब के रूप में विख्यात हो चुका है, तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में भी राज्य उभर रहा है, फलस्वरूप राज्य में माल, हॉटल अनय औद्योगिक घटको के ....लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों, उच्च शैक्षणिक संस्थान स्थापित हो रहे हैं जहां ट्रेन्ड रिसेप्शनिस्ट, FNB Services, हाऊस कीपिंग इत्यादि की आवश्यकता होती है। फलतः इस क्षेत्र में कैरियर बनाने की आकांक्षा रखने वाले अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों को इस सेवा की विशिष्ट योग्यता, क्षमता, दृष्टिकोण के अनुरूप व्यक्तित्व तैयार करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रशिक्षण के साथ-साथ नियोजन (Placement) भी महत्वपूर्ण है। अतः प्रशिक्षण के पश्चात् नियोजन (Placement) का प्रयास भी किया जायेगा।

2. अनिवार्य योग्यता

हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा योजना हेतु चयनित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होना चाहिए :-

1. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी की जाति छत्तीसगढ़ राज्य के अनु0 जाति, अनुसूचित जनजाति के घोषित सूची मे होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए।
4. अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10+2 परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
5. अंग्रेजी बोलने एवं लिखने की न्यूनतम दक्षता होनी चाहिए, तथा 10+2 स्तर में अंग्रेजी एक विषय होना चाहिए जिसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो।
6. आंखों की रोशनी सामान्य एवं लम्बाई के अनुपात में वजन होना चाहिए तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य (Healthy) होना चाहिए।

3. वांछनीय योग्यता

आकर्षक व्यक्तित्व एवं अंग्रेजी भाषा में सम्प्रेषण शीलता प्राप्त अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

4. लाभान्वितों की संख्या

इस योजना में कुल 100 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा। जिसमें 80 युवतियां एवं 20 युवक होंगे, युवकों की संख्या यदि कम होगी तो युवतियों की संख्या में अभ्यर्थी समायोजित किये जायेंगे, बजट उपलब्धता के आधार पर अभ्यर्थियों का लक्ष्य परिवर्तनशील होगा।

//2//

इस योजना के लिए आय सीमा वही रखी गई जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित है।

6. <u>चयन प्रक्रिया</u>

1. अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से बुलाए जायेंगे।
2. न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाले छात्र/छात्राएं कंडिका 2 में दर्शाए गए अनिवार्य योग्यता सहित आवेदन पत्र आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छ0ग0 रायपुर में प्रस्तुत करेंगे।
3. विभागाध्यक्ष स्तर पर आवेदनों का प्रथम स्क्रीनिंग की जायगी।
4. प्रथम स्क्रीनिंग पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों का अंतिम चयन चयनित प्रशिक्षण संस्थान की सहमति से किया जायेगा।

7. <u>प्रशिक्षण संस्था का चयन</u>

(अ) हॉस्पीटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्था का मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेशन एवं सम्बद्धता, अधोसंरचना, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, संस्था की विश्वसनीयता, संस्था के गत पांच वर्षों की उपलब्धि, संस्था का आयकर रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट, अनुभव इत्यादि के आधार पर समाचार पत्रों में रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कराकर प्रस्ताव प्राप्त किये जावेंगे।

(ब) प्राप्त प्रस्ताव का गुणवत्ता पिछली उपलब्धियां एवं गुण–दोष के आधार पर प्रशिक्षण संस्था का चयन आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

(स) राज्य के बाहर की संस्था यदि चयन की जाती है तो उन्हें राज्य मुख्यालय अथवा राज्य के अन्य बड़े शहरों में फैंच्याजी/ब्रांच स्थापित करना होगा।

(द) चयन उपरांत प्रशिक्षण संस्था से अनुबंध आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर द्वारा किया जायेगा।

(इ) अनुबंध एवं शर्तें आयुक्त द्वारा तय किया जायेगा।

(फ) प्रशिक्षण उपरांत संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को उपयुक्त रोजगार दिलाने का प्रयास भी करना होगा तथा रोजगार मिलने तक अभ्यर्थियों की Hand Holding की जाएगी।

8. <u>प्रशिक्षण का अवधि</u>

(1) प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष होगी, जिसमें क्लास रूम, लायब्रेरी, फिटनेस, ग्रुमिंग एवं इंग्लिश स्पीकिंग पर कक्षाएँ संचालित की जावेगी एवं किसी स्थानीय या आउटसोर्स करके प्रतिष्ठित कंपनी/संस्थान में ऑन–जॉब प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। क्लास रूम एवं ऑन–जॉब प्रशिक्षण की अवधि डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होगी।

(2) 60% राशि का भुगतान किश्तों में किया जायेगा, शेष 40% राशि का भुगतान प्लेसमेंट के आधार पर किया जायेगा।

9. <u>आवासीय सुविधा</u>

प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास एवं मेस सुविधा हेतु संस्था को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

10. शर्तें

(1) यह प्रशिक्षण पूर्णकालिक होगा, एवं प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में अन्यत्र किसी नियमित अध्ययन अथवा नौकरी/व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी।

(2) प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणरत रहते हुए किसी भी समय यह पाया जाता है कि छात्र/छात्रा का आचरण, व्यवहार, प्रगति नियमितता, संतोषजनक नहीं है या गलत जानकारी दी गई है तो छात्र–छात्रा को दी जाने वाली सुविधा तत्काल वापस ले ली जायेगी।

(3) प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण की प्रगति एवं उसके लाभ का प्रतिमाह प्रगति प्रतिवेदन आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर को उपलब्ध कराना होगा।

(4) विभाग स्तर से भी समय–समय पर प्रशिक्षण संस्था एवं प्रशिक्षण के गुणवत्ता का निरीक्षण कराया जायेगा। प्रशिक्षण की गुणवत्ता ठीक रहने पर ही आगे प्रशिक्षण प्रारम्भ रहेगा।

11. स्वीकृति

योजना के संचालन, शुल्क स्वीकृति, अनुबंध आदि हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर सक्षम होंगे।

(डी0डी0कुंजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु0जा0वि0वि0

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

4 SEP 2014

क्रमांक/एफ–16–166/2012/25/2 नया रायपुर, दिनांक /09/2014

प्रति,

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास
रायपुर छ.ग.

विषयः– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवक–युवतियों के लिए हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना वर्ष 2013–14 (यथा संशोधित) में संशोधन करने की स्वीकृति.

संदर्भः– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास, रायपुर का पत्र क्र./आदि.यो./13/2014–14/5381 दिनांक 30.7.2014

राज्य शासन एतद् द्वारा आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर के संदर्भित प्रस्तावानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवक–युवतियों के लिए हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना वर्ष 2013–14 (यथा संशोधित) की **कंडिका-04 "लाभान्वितों की संख्या"** में उल्लेखित वर्तमान प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करता हैः–

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
इन योजना में कुल 100 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा। जिसमें **80 युवतियां एवं 20 युवक होंगे,** युवकों की संख्या यदि कम होगी तो युवतियों की संख्या में अभ्यर्थी समायोजित किये जायेंगे। बजट उपलब्धता के आधार पर अभ्यर्थियों का लक्ष्य परिवर्तनशील होगा।	इस योजना में कुल 100 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा। बजट उपलब्धता के आधार पर अभ्यर्थियों का लक्ष्य परिवर्तनशील होगा।

2– इस स्वीकृति पर छ.ग. शासन, वित्त विभाग के फाईल क्रमांक/एफ–2014–25–00341/बी–3/चार, दिनांक 2.9.2014 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. कुंजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.

//2//